भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः 120

उत्तर देने की तारीखः 11.02.2019

उपाधियों की मान्यता

***120. डॉ. के. गोपालः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ब्रिटेन (यूके) से प्राप्त की जाने वाली उपाधियों को मान्यता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ब्रिटेन से प्राप्त की जाने वाली अनेक मास्टर्स उपाधियों को मान्यता प्रदान नहीं करता है, क्योंकि वे अधिकांशतः बारह माह की अवधि की होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

उपाधियों की मान्यता के संबंध में डॉ. के. गोपाल द्वारा दिनांक 11.02.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 120 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री प्रदान करने हेतु शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2003 के अनुसार भारत में मास्टर डिग्री की अवधि दो वर्ष विनिर्दिष्ट की गई है और इसलिए भारत में एक वर्ष की मास्टर डिग्री को मान्यता-प्राप्त नहीं है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा निम्नलिखित मानकों को पूरा करने के अधीन अनुमोदित/मान्यता-प्राप्त/प्रत्यायित विश्विविद्यालयों द्वारा प्रदत्त डिग्रियों को समतुल्यता प्रदान करना अनिवार्य है और वह इसमें शामिल है:

i. डिग्रियां उन विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, जो उनके अपने देश में अनुमोदित/मान्यता - प्राप्त/प्रत्यायित हों;
ii. छात्रों द्वारा अध्ययन कार्यक्रम उनके मूल विश्वविद्यालय के कैम्पस और/अथवा विधिवत अनुमोदित/मान्यता-प्राप्त/प्रत्यायित विदेशी परिसर/साझेदार संस्थान में पूर्ण-कालिक नियमित छात्र के रूप में प्राप्त किए जा रहे हैं;
iii. अध्ययन कार्यक्रमों की न्यूनतम निर्धारित अवधि कम से कम भारतीय विश्वविद्यालयें के मामले में लागू अवधि के समान हो; और
iv. अध्ययन कार्यक्रमों में दाखिले के लिए न्यूनतम पात्रता संबंधी आवश्यकताएं कम से कम भारतीय विश्वविद्यालयों के मामले में लागू आवश्यकताओं के समान हों।

वर्तमान नीति के अनुसार एआईयू द्वारा केवल अनुमोदित/मान्यता-प्राप्त/प्रत्यायित ब्रिटिश विश्वविद्यालयों द्वारा केवल उन्हीं मास्टर डिग्रियों को समतुल्यता प्रदान की जाती है जिनकी अवधि 2 वर्ष है।

जिन देशों के साथ भारत ने शैक्षाणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, उन देशों की सदृश डिग्रियों को समतुल्य माना जाता है। तथापि, अब तक भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया है।

*****